

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
शिवण कुमार पुत्र मोययण अग्रवाल	बी	राजस्थान सरकार जसिये तहसीलदार कुचामनसिटी
	म	

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.LAct 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 319 /2021

GCMS No. 2021 / 1116

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

9/1/2021

वादी श्री शिवण कुमार पुत्र मोययण
जाति अग्रवाल निवासी आरुपुरा द्वारा आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत आरुपुरा में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 ग्राम आरुपुरा पटवार मण्डल (Risthman) के खाता नम्बर 127 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि मेययण शु मोययण दर्ज है, जो अशुद्ध है।

वादी का शुद्ध नाम शिवण कुमार पुत्र मोययण है।

तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. 008380/00348 आधार नम्बर 8835589/8876

मतदाता पहचान पत्र YKouqorR अन्य दस्तावेज मालिकाना की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

इस संबंध में हल्का पटवारी (Risthman) मूअनि अग्रवाल एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल हो।



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

1288-1301